सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-07 सोमवार, दिनांक-01 मार्च, 2021 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.32 बजे अपराह्न तक ।

[1] प्रश्नकाल :-

(i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।
(ii) 15 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।
(iii) 05 तारांकित प्रश्न अपृष्ट ।
(iv) 59 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[2] आसन से संदेश :-

आसन द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार के जन्म दिवस के अवसर पर अपने एवं सम्पूर्ण सदन की ओर से हार्दिक बधाई दी गयी एवं उनके दीर्घायु जीवन की कामना की गयी ।

[3] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i)	श्री मिथिलेश कुमार	(ii)	श्रीमती शालिनी मिश्रा
(iii)	श्री समीर कुमार महासेठ	(iv)	श्री रणविजय साहू
(v)	श्री पवन कुमार जायसवाल	(vi)	श्री अजय कुमार
(vii)	श्री विद्या सागर केसरी	(viii)	श्री चेतन आनन्द
(ix)	श्री सुधाकर सिंह	(x)	श्री महबूब आलम
(xi)	श्री रामबली सिंह यादव	(xii)	श्री मुकेश कुमार यादव
(xiii)	श्री कुमार शैलेन्द्र	(xiv)	श्री कृष्णनंदन पासवान
(xv)	श्री गोपाल रविदास	(xvi)	श्री राकेश कुमार रौशन
(xvii)	श्री सुदामा प्रसाद	(xviii)	श्री जय प्रकाश यादव

(xix) श्री मुरारी मोहन झा
(xx) श्री पवन कुमार यादव
(xxi) श्री राजकुमार सिंह
(xxii) श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव

[4] <u>ध्यानाकर्षण सूचनाएँ</u> :-

(i) माननीय सदस्य, श्री मोती लाल प्रसाद एवं अन्य सभासदों का गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री मोती लाल प्रसाद द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग श्री प्रमोद कुमार द्वारा इसके उत्तर के लिए दिनांक-08.03.2021 का समय सदन से लिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य, श्री रत्नेश सादा एवं श्री संजय कुमार सिंह का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री रत्नेश सादा द्वारा पढ़ा गया तथा इसका उत्तर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग श्री मंगल पाण्डेय द्वारा दिया गया ।

[5] <u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u> :-

1. माननीय उप मुख्यमंत्री सह वाणिज्य-कर मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के तहत् अधिसूचना संख्या एस०ओ०-206, दिनांक 16.07.2018 सहित कुल 212 अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया तथा यह 30 दिनों तक सभा मेज पर रखी रहेगी ।

2. माननीय उप मुख्यमंत्री सह वाणिज्य-कर मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 99 के तहत् अधिसूचना संख्या एस०ओ०-223, दिनांक-10.08.2018; एस०ओ०-259, दिनांक-05.10.2018; एस०ओ०-46, दिनांक-05.03.2019; एस०ओ०-392, दिनांक-24.10.2019; एस०ओ०-76, 77, 78, दिनांक-15.01.2020; एस०ओ०-105, 106, दिनांक-13.04.2020; एस०ओ०-127, दिनांक-18.05.2020; एस०ओ०-135, दिनांक-02.07.2020 तथा एस०ओ०-166, 167, 168, दिनांक- 21.09.2020 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया तथा यह 14 दिनों तक सभा मेज पर रखी रहेगी ।

3. माननीय उप मुख्यमंत्री सह वाणिज्य-कर मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 की धारा 22(3) के तहत् अधिसूचना संख्या एस०ओ०-164, दिनांक- 11.09. 2020 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया तथा यह 14 दिनों तक सभा मेज पर रखी रहेगी ।

4. माननीय उप मुख्यमंत्री सह वाणिज्य-कर मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार विज्ञापन कर अधिनियम, 2007 की धारा 37(3) के तहत् अधिसूचना संख्या एस०ओ०-139, दिनांक-02.07.2020 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया तथा यह 14 दिनों तक सभा मेज पर रखी रहेगी ।

5. माननीय उप मुख्यमंत्री सह वाणिज्य-कर मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा 20(2) के तहत् अधिसूचना संख्या एस०ओ०-138, दिनांक-02.07.2020 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया तथा यह 14 दिनों तक सभा मेज पर रखी रहेगी ।

6. माननीय उप मुख्यमंत्री सह वाणिज्य-कर मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा 9(4) के तहत् अधिसूचना संख्या एस०ओ०-136, दिनांक-02.07.2020 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया तथा यह 14 दिनों तक सभा मेज पर रखी रहेगी ।

7. माननीय उप मुख्यमंत्री सह वाणिज्य-कर मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा 18(2) के तहत् अधिसूचना संख्या एस०ओ०-272, 273, दिनांक- 20.11.2018; एस०ओ०-323, दिनांक- 11.07.2019 एवं एस०ओ०-140, दिनांक-02.07.2020 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया तथा यह 14 दिनों तक सभा मेज पर रखी रहेगी ।

8. माननीय उप मुख्यमंत्री सह वाणिज्य-कर मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 सपठित बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा 37 के तहत् अधिसूचना संख्या एस०ओ०-137, दिनांक- 02.07.2020 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया तथा यह 14 दिनों तक सभा मेज पर रखी रहेगी ।

[6] आसन की सूचना :-

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज के लिए सूचीबद्ध कुल 2 अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर ऑनलाईन प्राप्त हो गए थे एवं कुल 79 तारांकित प्रश्नों में से 72 के उत्तर ऑनलाईन प्राप्त हो गए थे जो 91 प्रतिशत हैं, जिनमें सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग एवं सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग का शत-प्रतिशत तथा गृह विभाग का 94 प्रतिशत, उद्योग विभाग 90 प्रतिशत, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग शून्य प्रतिशत और गन्ना उद्योग विभाग 75 प्रतिशत है ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05.01 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[7] वित्तीय कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड-01 (कृषि विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, सहकारिता विभाग तथा अल्पसख्यंक कल्याण विभाग)] पर वाद-विवाद एवं मतदान :-

माननीय मंत्री, कृषि विभाग, श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से कृषि विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया ।

अनुदान की मांग पर कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग के मूल प्रस्ताव एवं इस पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री आलोक कुमार मेहता
(ii) श्री जनक सिंह
(iii) श्री चन्द्र शेखर
(iv) श्री मेवालाल चौधरी
(v) श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन
(vi) श्री कुमार शैलेन्द्र
(vii) श्री सुदामा प्रसाद
(viii) श्री अवधेश सिंह
(ix) श्री सिद्धार्थ सौरव
(x) श्रीमती निशा सिंह
(xi) श्री मो० इसराईल मंसूरी
(xii) श्री शाहनवाज
(xiii) श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी
(xiv) श्री अजय कुमार

(xv) श्री मो० नेहालउद्दीन

(xvi) श्री सूर्यकान्त पासवान

(xvii) श्री अनिल कुमार

(xviii) श्रीमती स्वर्णा सिंह

तदोपरान्त माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, श्री प्रमोद कुमार द्वारा विभाग से संबंधित जानकारी से सदन को अवगत कराया गया ।

तत्पश्चात सरकार की ओर से माननीय मंत्री, कृषि विभाग, श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा वाद-विवाद का उत्तर दिया गया ।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए ।

तदुपरान्त माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा कृषि विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ ।

[8] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 28 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

तदुपरान्त सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक-02 मार्च, 2021 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-01.03.2021

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।